



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

29 दिसंबर 2025

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, मार्च 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार जारी करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (जनवरी - मार्च 2026)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
07 जनवरी 2026	08 जनवरी 2026	9,000	12,000	8,000	29,000
14 जनवरी 2026	15 जनवरी 2026	9,000	12,000	8,000	29,000
21 जनवरी 2026	22 जनवरी 2026	9,000	12,000	8,000	29,000
28 जनवरी 2026	29 जनवरी 2026	9,000	12,000	8,000	29,000
04 फरवरी 2026	05 फरवरी 2026	9,000	12,000	8,000	29,000
11 फरवरी 2026	12 फरवरी 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
18 फरवरी 2026	20 फरवरी 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
25 फरवरी 2026	26 फरवरी 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
04 मार्च 2026	05 मार्च 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
11 मार्च 2026	12 मार्च 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
18 मार्च 2026	20 मार्च 2026	14,000	12,000	8,000	34,000
25 मार्च 2026	27 मार्च 2026	15,000	12,000	8,000	35,000
कुल		1,44,000	1,44,000	96,000	3,84,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया

जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2025 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4(2)-बी(डब्ल्यू एंड एम)/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1795

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक